<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002422011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—595/11</u> संस्थापित दिनांक—19.12.11

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 22.04.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 34, 36 आबकारी एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी 03-सुरेश चंद्र पटेरिया ने दिनांक 24.11.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को दौरान ए गश्त दिल्ली दरवाजे के पास मुखविर ने उन्हें बताया कि संजीव भोजनालय का मालिक वल्लू उर्फ राजीव सिहारे होटल के पीछे अवैध अहाता बनाकर शराब रखकर पिलाता है एवं अभी भी पिला रहा है। सूचना पर से हमाराही फोर्स मय एएसआई खान, आरक्षक सुरेंद्र के संजीव भोजनालय के पिछवाडे पहुंचे तो उनने देखा कि होटल का मालिक बल्लू उर्फ राजीव सिहारे एक पुट्ठे के कार्टून में कांच के गिलास से शराब पिला रहा था। पुलिस को आता देख मालिक वल्लू सिहारे भाग गया एवं नौकर सरमन पाल कॉर्टून लेकर भागने लगा। नौकर सरमन पाल कार्टून लेकर भागने लगा। नौकर सरमन के कब्जे से कार्टून में रखे 21 क्वार्टर देशी ठेके वाली शराब के सफेद बरामद किए, खाली गिलास जिनमें शराब पिलाई जा रही थी 4 नग एवं वारदाना सफेद केन ठेका की शराब के 8 नग बरामद करके विधिवत गवाहों के समक्ष जप्ती की कार्यवाही की। आरोपी सरमन को गिरफतार किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 452/11 के अंतर्गत आबकारी एक्ट 34/36 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 36 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपीगण ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण दिनांक 24.11.11 को समय 13.05 बजे संजीव भोजनालय के पीछे छापा का अहाता चंदेरी में अपने बिना आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के शराब के भरे 21 क्वार्टर एवं खाली 12 वारदान खाली ग्लास के चार नग विक्रय करने के आशय से रखे पाए गए ?
- 2. क्या आरोपीगण उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त सामग्री अपने बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के अवैध आधिपत्य में रखे पाए गए ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सतीश, अ.सा. 02 संजय सिंह वर्मा, अ.सा. 03 अंगद सिंह, अ.सा. 04 एस एस चौहान, अ.सा. 05 अब्दुल हमीद खां, अ.सा. 06 दीनानाथ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 04 एस एस चौहान ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 24.11.11 को करबा भ्रमण पर अब्दुल हमीद के साथ गया था। उक्त साक्षी के अनुसार पुराने बस स्टेंड पर राजीव सयारे के होटल पर कुछ लोग शराब पी रहे थे जहां पर उन्हें गिरफतार किया था और शराब जप्त की थी। उक्त साक्षी के अनुसार शराब पब्लिक लोग पी रहे थे। अ.सा. 05 अब्दुल हमीद ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह टीआई साहब के कहने पर पुराने बस स्टेंड चंदेरी मय फोर्स के गया था जहां पर सरमन व राजीव शराब बेचते हुए पाए गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण के कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई थी तथा आरोपीगण को गिरफतार किया गया था। अ.सा. 06 दीनानाथ ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से पुलिस ने शराब पकडी थी। उक्त साक्षी के अनुसार जप्तशुदा शराब

होटल में एक थैल में रखी हुई थी जिसे दरोगाजी ने पकडा था। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रपी 03 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि लिखापढी थाने पर हुई थी तथा प्रपी 03 पर थाने पर हस्ताक्षर कराए थे। अ.सा. 06 के अनुसार दरोगाजी ने उसे थाने पर बताया था कि थैले में शराब रखी है। उक्त साक्षी के अनुसार वह राजीव की दुकान पर नहीं गया और दुकान पर उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और राजीव की दुकान पर कोई शराब जप्त नहीं हुई।

08— अ.सा. 01 सतीश तथा अ.सा. 03 अंगद सिंह पक्षद्रोही हो गए हैं। दोनों साक्षीगण ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही होने से इंकार किया है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 03 ने प्रणी 01 एवं प्रणी 02 की कार्यवाही उनके समक्ष होने से इंकार किया है। दोनों साक्षीगण के अनुसार उनके समक्ष कोई भी जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही नहीं हुई। अ.सा. 02 संजय सिंह वर्मा ने अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 29.11.11 को प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा पदार्थ की जांच की थी जिसकी रिपोर्ट प्रणी 05 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार जप्तशुदा पदार्थ देशी प्लेन मदिरा होना पाया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि थाना चंदेरी द्वारा भेजे गए पत्र पर अपराध क्रमांक और दिनांक का उल्लेख नहीं है।

09— प्रकरण में अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि जप्तशुदा नमूना देशी प्लेन मदिरा है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 03 जो कि जप्ती पंचनामा प्रपी 03 के साक्षी हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा उनके समक्ष कोई भी जप्ती होने से इंकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 06 ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके समक्ष शराब नहीं पकड़ी थी और दरोगाजी ने उसे दिखाकर बताया था कि शराब पकड़ी है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उसके समक्ष आरोपी की दुकान से शराब जप्त नहीं हुई। इस प्रकार एक भी जप्ती पंचनामा के साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा यह कथन नहीं किया है कि

उनके समक्ष आरोपीगण से शराब जप्ती की कार्यवाही हुई थी। इस प्रकार अभियोजन द्व ारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण से शराब जप्त की गई थी। उल्लेखनीय है कि अन्य साक्षी अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 की ही साक्ष्य अभिलेख पर शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया।

- 10— अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 के अनुसार कस्बा भ्रमण के दौरान उन्होंने आरोपीगण को शराब बेचते हुए गिरफतार किया था। उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षीगण पुलिस के साक्षी हैं। अभियोजन द्वारा प्रकरण में रवानगी सान्हा एवं वापसी सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। मात्र पुलिस के साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया है, समीचीन प्रतीत नहीं होता। (राममनोहर वि० म०प्र० राज्य 1982 कि.लॉ.रि 284 म०प्र० नोट) अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 की साक्ष्य का अनुसमर्थन एवं संपुष्टि अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य से नहीं हो रही है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा। इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध अप्रमाणित माना जाना समीचीन प्रतीत होता है। न्यायदृष्टांत संतोष कुमार वि० महाराष्ट्र राज्य 1993, कि.लॉ.रि. 563 सुप्रीम कोर्ट अनुकरणीय है, जिसमें निश्चित किया गया है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थित में संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए।
- 11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 36 आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 12— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 13— प्रकरण में जप्तशुदा शराब के भरे सफेद क्वाटर 21 नग, खाली क्वाटर वारदान 12 नग, खाली गिलास के 4 नग मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 14— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)